न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/236

1. कजोड़ पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. धापू देवी पत्नी हनुमान सहाय,
2. कमली देवी पुत्री नारायण,
3. मीरा देवी पुत्री नारायण,
4. रूडमल पुत्र नारायण समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवासकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. कैलाशी देवी पुत्री घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
6. प्रभूदयाल पुत्र घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
7. महेन्द्र कुमार पुत्र घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
8. रामसिंह पुत्र घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
9. राहुल पुत्र रामकिशोर जाति अहीर निवासी खन्नीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. शंकर लाल पुत्र घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
11. सोहन पुत्र रामकिशोर जाति अहीर निवासी ग्राम खन्नीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/237

1. कजोड़ पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. धापू देवी पत्नी हनुमान सहाय,
2. कमली देवी पुत्री नारायण,
3. मीरा देवी पुत्री नारायण,
4. रूडमल पुत्र नारायण समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवासकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

5. कैलाशी देवी पुत्री घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बारा आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
6. प्रभूदयाल पुत्र घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बारा आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
7. महेन्द्र कुमार पुत्र घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बारा आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
8. रामसिंह पुत्र घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बारा आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
9. राहुल पुत्र रामकिशोर जाति अहीर निवासी खन्नीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. शंकर लाल पुत्र घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बारा आलीसर, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
11. सोहन पुत्र रामकिशोर जाति अहीर निवासी ग्राम खन्नीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री विजय कुमार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री विजय पुनिया एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री प्रभूसिंह राजावत एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 13.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 1113 दिनांक 26.07.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 10 के खसरा नम्बर 147 रकबा 0.17 हैक्टयर एवं खाता संख्या 12 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.01 हैक्टयर एवं खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 142 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 1.90 हैक्टयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.62 हैक्टयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 1.44 हैक्टयर,

P.T.O.

एवं खाता संख्या 134 खसरा नम्बर 70/1069 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 70/968 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 92/1322 रकबा 0.08 हैक्टयर एवं खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 69 रकबा 0.18 हैक्टयर स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार नारायण पुत्र काना जाति अहीर था जिसकी मृत्यु दिनांक 11.0.2007 हो चुकी है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि रूडमल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया नारायण का पुत्र काना की मृत्यु दिनांक 11.01.2007 को हो चुकी है जिसका एक पुत्र कजोड़ पूर्व में उसके ताऊ सुण्डाराम के गोद जा चुका है ऐसे में उसका नामान्तरकरण दर्ज न कर शेष वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। तत्पश्चात् प्रकरण को दर्ज कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई एवं वारिसान की जॉच कराई गई एवं समस्त पक्षकारान को नोटस जारी किये गये जिसमें अपीलान्ट का नोटिस रेस्पोडेन्ट ने मिलीभगत करते हुये पोस्टमैन से रिफण्ड बाई एड्रस अंकित करते हुये उसके हक व अधिकारों से महरूम करने की गरज से बिना तामील कराये आपस में साजबाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.08.2021 को हुई जिस पर उसने पत्रावली नकल हेतु तहसील कार्यालय में वर्तालाप की नकल प्राप्त होती न दिखने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.08.2021 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 12.08.2021 को ही अपीलाधीन आदेश व पत्रावली की नकल प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 16.08.2021 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, जिस पर उन्होने पत्रावली का अवलोकन कर दिनांक 18.08.2021 को अपने कार्यालय में बताया एवं अपीलधीन आदेश के तहत दर्ज नामान्तरकरण की जानकारी चाही जिस पर दिनांक 19.08.2021 को अपीलाधीन आदेश के तहत दर्ज नामान्तरकरण की नकल लेकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया पर उन्होने दोनों अपीलों के आदेश की अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिस पर पैसों आदि का इंतजाम कर दिनांक 28.08.2021 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस पर तहसीलदार आमेर द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये एवं अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं जिरह आदि का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो आदेश विधि विरूद्ध गैर कानूनी राजस्व अभिलेखों के विपरित होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने से पूर्व साधारण नोटिस जारी करने का आदेश नही दिया, ना ही तामील के विषय में विधि द्वारा स्थापित समस्त कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को यह सुनिश्चित करना था कि अपीलाधीन आदेश मूलतः अपीलान्ट के सम्बन में भी पारित किया जाना था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपनी पत्रावली पर अंकित किया है कि हनुमान एवं धापा देवी द्वारा अपने बयानों में केवल सुण्डाराम की पगड़ी की बात अंकित की है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार पगड़ी बंधना, गोद जाना दोनों अलग–अलग रिति–रिवाज है, किसी भी व्यक्ति का गोद पुत्र होने के लिये गोद की रस्म का होना एवं उसका रजिस्टर्ड गोदनामा होना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यदि अपीलान्ट की समुचित तामील करवाई जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाता तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की पत्रावली संख्या 63/79 उनवानी कोयली बनाम कजोड में पारित निर्णय दिनांक 05.08.1980 की नकल प्रस्तुत करता जिसमें न्यायालय ने अपीलान्ट को सूण्डाराम का दत्तक पुत्र नही माना, जब अपीलाधीन आदेश पारित करने वाली सुप्रीयर अदालत ने अपने निर्णय में अपीलान्ट को गोद पुत्र न मानने का पारित किया जा चुका था तो उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोद पुत्र मानकर भारी कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर नही किया कि जहॉ पक्षकारों के गोदनामा आदि का विवाद हो वहॉ केवल विरासत के आधार पर ही नामान्तरकण दर्ज किया जाना चाहिये क्योंकि हक व अधिकार के प्रश्न नामान्तरकरण की फिसकल प्रोसिडिंग में तय नही किया जा सकता उसको नियमित वाद के द्वारा ही तय किये जा सकते है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक बिन्दूओं को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें एवं अपीलान्ट की दोनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2021 एवं नामान्तरकण संख्या 1113 वाके ग्राम महेशवास कलां पर पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुये आदेश दिया था कि "प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही निर्णय किया जाता है कि नारायण पुत्र काना जाति अहीर के विधिक वारिसान में संलग्न दस्तावेज, धापूदेवी के बयान व कजोड़ द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही करने के कारण कजोड़ पुत्र नारायण दत्तक पुत्र सूण्डाराम को छोड़ते हुये समस्त विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर नियमानुसार तस्दीक करावें।" जिसकी अनुपालना में दिनांक 26.07.2021 को नामान्तरकरण खोल दिया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा केवल और केवल मात्र रेस्पेडेन्ट संख्या 1 को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से हस्तगत अपीले की गई है जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि अपीलान्ट कजोड, नारायण पुत्र काना का जायन्दा लड़का है जिसका जन्म सन् 1958 का है जिसे नारायण के बडे भाई सूण्डा पुत्र काना ने 10 वर्ष की आयु में हिन्दू रिति–रिजाव के अनुसार सन् 1968 में गोद ले लिया था तथा गोद की रागी रस्मे अदा कर दी थी, सूण्डा पुत्र काना ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में समाज के प्रमुख व्यक्तियों व रिश्तेदारों के समक्ष इस बाबत दिनांक 21.09.1978 को एक इकरानामा भी 3/–रूपये के स्टाम्प पर पूर्व में गोद लेने के बारे मे लिख दिया था ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न ना हो जिसके पश्चात् सूण्डा की मृत्यु सन् 1978 में हो गई और सूण्डा की पगड़ी दस्तूर भी अपीलान्ट कजोड़ के हुई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है सूण्डा पुत्र काना की मृत्यु होने पर वादग्रस्त आराजी में उसकी पत्नी नाथीदेवी, पुत्री कोयली देवी व दत्तक पुत्र कजोड़ मृतक सूण्डा के विधिक वारिसान हुये जिसमें से मृतक सूण्डा की विरासत को ग्राम पंचायत के समक्ष अपीलान्ट कजोड़ ने जायन्दा पुत्र की हैसियत से राजस्व नामान्तरकरण सख्या 188 निर्णय दिनांक 13.12.1978 द्वारा मृतक सूण्डा की विरासत अपीलान्ट न अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट कजोड़ ने अपनी दत्तक माता व दत्तक बहन को परेशान करना प्रारम्भ कर दिया जिससे व्यथित होकर मृतक सूण्डा की विधवा नाथी देवी व पुत्री कोयली देवी ने न्यायालय उप जिलाधीश आमेर के समक्ष अपील संख्या 63/79 उनवानी कोयली बनाम कजोड़ प्रस्तुत की जो न्यायालय उप जिलाधीश आमेर ने अपने निर्णय दिनांक 05.08.1980 के द्वारा अपीलान्ट को जायन्दा वारिस के अभाव में नामान्तरकरण संख्या 188 खारिज फरमा दिया तथा सूण्डा की विरासती नामान्तरकरण संख्या 188 खारिज किये जाने से वादग्रस्त आराजी मृतक सूण्डा के वारिसान के नाम दर्ज हो गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया कि सूण्डा की विरासत खारिज होने के पश्चात् अपीलान्ट कजोड़ ने अपनी दत्तक माता नाथी देवी व बहन कोयली देवी से राजीनामा कर लिया तथा उनका मान–सम्मान करने लग गया तब समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों व रिश्तेदारो के समक्ष यह तय हुआ की सूण्डा की भूमि अपीलान्ट कजोड़ के नाम दर्ज करवाई जावें जिस पर ग्राम पंचायत ने विरासत दर्ज करने में असमर्थता जाहिर की तथा अपीलान्ट कजोड़ सहखातेदार नही रहने से हक त्याग भी नही हो सका इसलिये सभी ने यह तय किया की सूण्डा की भूमि उसके वारिसान द्वारा जरिये नुमाईशी विक्रय पत्र द्वारा दत्तक पुत्र कजोड़ के नाम दर्ज करका दी जावें जिसें अपीलान्ट कजोड़ का नाम कजोड़ पुत्र नारायण दत्तक पुत्र सूण्डा अंकित किया गया, तथा विक्रय पत्र में राशि डी.एल.सी रेट के आधार पर अंकित की गई थी जबकि वास्तव में कोई प्रतिफल राशि अदा नही की गई थी तथा उस वक्त अपीलान्ट की आयु 23 वर्ष के लगभग थी जो कृषि कार्य ही करता था जो उस जमाने में 8000/–रूपये आज के 8 करोड़ रूपये से भी ज्यादा मायने रखते थे अर्थात विक्रय पत्र नुमाईशी दर्ज करवाकर अपीलान्ट कजोड

P.T.O.

को मृतक सूण्डा की विरासत पर काबिज करवा दिया गया था जिसस भविष्य में नारायण की विरासत के समय कोई कानूनी बांधा उत्पन्न नही हो अर्थात अपीलान्ट कजोड़ मृतक सूण्डा पुत्र काना के गोद चले जाने व सूण्डा की पगड़ी कजोड़ के बंधने से मृतक सूण्डा की भूमि अन्ततः अपीलान्ट कजोड़ को प्राप्त हो गई जिसमें आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में कजोड पुत्र नारायण दत्तक पुत्र सूण्डा अंकित चला आ रहा है। पैतृक भूमि का बंटवारा दिनांक 18.02.1984 को किया गया जो खसरा परिशोधन पत्र संख्या 42 में दर्ज है जिसमें अपीलान्ट कजोड़ को अधिक भूमि दी गई है जिसमें भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने अपीलान्ट कजोड़ को सूण्डा के गोद जाना माना है, तथा स्वीकृति स्वरूप अपीलान्ट कजोड़ की अंगूठा निशानी मौजूद है जो अपीलान्ट को गोद चले जाना साबित करता है। इसलिये अपीलान्ट कजोड़ को अपने प्राकृतिक पिता की विरासत में कोई हक नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि कजोड़ पुत्र नारायण दत्तक पुत्र सूण्डा के सभी राजकीय दस्तावेजात राशन कार्ड, निर्वाचन पत्र आदि में कजोड़ पुत्र सूण्डा अंकित चला आ रहा था हाल ही नारायण पुत्र काना की सन् 2007 में मृत्यु होने के उपरान्त अपीलान्ट कजोड ने बदनियतिपूर्वक राजकीय दस्तावेजों में अपना नाम कजोड़ पुत्र सूण्डा के स्थान पर कजोड पुत्र नारायण गलत दर्ज करवा लिया जबकि सन् 1980 से लेकर सन् 2007 तक अपीलान्ट कजोड़ के पिता का नाम राजकीय दस्तावेजातों में सूण्डा अंकित है, अपीलान्ट कजोड़ द्वारा फर्ज पहचान पत्र बनवाये जाने से नारायण पुत्र काना की विरासत दर्ज नही हो पाई। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जॉच नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम कजोड पुत्र नारायण दत्तक पुत्र सूण्डा अंकित है जिससे अपीलान्ट कजोड़ का सूण्डा पुत्र काना के गोद जाना व मृतक सूण्डा की सम्पत्ति अन्ततः अपीलान्ट कजोड़ को प्राप्त होने से अपीलान्ट कजोड़ के प्राकृतिक पिता की विरासत में कोई हक व अधिकार कानूनन नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधिनुसार पारित होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को रजिस्टर्ड नोटिस जारी तो किये गये है किन्तु उक्त रजिस्टर्ड नोटिस के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

माध्यम से तामिल की प्रक्रिया सम्यक् रूप से पूर्ण नही की गई है जिससे अपीलान्ट व अन्य पक्षकारान भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2021 व तथा नामान्तरकरण संख्या 1113 वाके ग्राम महेशवास कलां पर पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उप तहसीलदार मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।